मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–20–34/2010/बी–ग्यारह भोपाल दिनांक 29/12.2010

प्रति,
उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– उद्योग संवर्द्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कण्डिका क्रमांक 15.3

---

उद्योग संवर्द्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्रमांक 15.3 निम्नानुसार हैः–

15.1 केवल पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिमार्ण उद्यमों को स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान सहायता दी जायेगीः–

| जिले की श्रेणी | अनुदान का प्रतिशत | अधिकतम राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| पिछड़ा 'अ' | 15 | 5.00 लाख | अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन श्रेणी के लिए अनुदान 20 प्रतिशत, की दर से अधिकतम राशि रू. 20.00 लाख होगी। |
| पिछड़ा 'ब' | 15 | 10.00 लाख | |
| पिछड़ा 'स' | 15 | 15.00 लाख | |

अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म एंव लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रू. 20.00 लाख तक पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता रहेगी।

नोट–

(1) उपरोक्त कण्डिका 15.1 एवं 15.3 के प्रयोजन के लिये केवल निःशक्तजन पात्र होंगे जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक हो तथा निःशक्तता का प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
(2) इकाई का स्वरूप भागीदारी अथवा कम्पनी होने की स्थिति में अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन, जैसी भी स्थिति हो, का संबंधित फर्म/कम्पनी में न्यूनतम 50 प्रतिशत का हिस्सा होना आवश्यक होगा।

2/ उक्त प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने हेतु तैयार की गई मध्यप्रदेश उद्योग निवेश अनुदान योजना, 2010 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3/ वित्त विभाग द्वारा यू ओ क्रमांक 568/844/10/बी–2/4, दिनांक 10.12.2010 से उक्त योजना को जारी करने की सहमति दी गई है।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक एफ–20–34/2010/बी–ग्यारह भोपाल दिनांक 12.2010
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह. कार्पो. लि., भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि., भोपाल।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार**

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# उद्योग निवेश अनुदान योजना, 2010

1. इस योजना का शीर्षक ''मध्यप्रदेश उद्योग निवेश अनुदान योजना– 2010'' होगा।

यह योजना नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, थ्रस्ट सेक्टर के लघु उद्योगों एवं पुनर्वासित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु लागू होगी।

**2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र –**

उद्योग निवेश अनुदान योजना 2010, दिनांक 1 नवम्बर, 2010 से 5 वर्ष के लिये, निम्न क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगी :–

(1) नीचे खण्ड (क) एवं (ख) में वर्णित श्रेणी के उद्यमों को छोड़कर औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी (विकसित) जिले में स्थापित उद्योग–

(क) अग्रणी जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्तजन उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 20.00 लाख तक निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी जिले में स्थापित हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को पिछड़े जिले की 'अ' श्रेणी की भांति 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 5.00 लाख तक निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

(2) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।

(3) नगर/शहर, जिनकी आबादी 2 लाख या अधिक हो (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर)।

(4) उपरोक्त कण्डिका क्र. (2) एवं (3) में उल्लिखित नगर निगम/शहर की सीमा के 8 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थापित उद्योग (नगर निगम,

बुरहानपुर की सीमा से 8 कि.मी. की परिधि में नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित व स्थापित होने वाले पावरलूमों को छोड़कर।)

परन्तु उक्त कण्डिका (2), (3) एवं (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा विकसित किये गये औद्यागिक विकास केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थानों में स्थापित उद्योगों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

3. <u>परिभाषायें –</u>

1. **''अनुसूचित जाति''** से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग/उनके समूह, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. **''अनुसूचित जनजाति''** से अभिप्रेत है कोई जनजाति,जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के समूह, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. **''सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग।

4. **''नई औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाई, जिसने नई औद्योगिक इकाई के रूप में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त की हो तथा दिनाक 1 नवम्बर, 2010 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

5. **''विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, ऐसी विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाई, जो दिनांक 1 नवम्बर, 2010 के पूर्व से उत्पादनरत हो अथवा उसके पश्चात उत्पादन में आई हो।

6. **''विद्यमान उद्योग में विस्तार करने वाली इकाई''** से अभिप्रेत है, वह पंजीकृत इकाई जिसके द्वारा विद्यमान औद्योगिक इकाई अन्तर्गत अनुमोदित क्षमता का विस्तार किया जाता है या डायवर्सिफिकेशन अथवा तकनीकी उन्नयन किया जाकर नवीन आयटम का उत्पादन या गुणवत्ता में उन्नयन किया जाता है। इसीप्रकार पूर्व स्थापित लघु उद्योग इकाई द्वारा पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के

तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश (जो ₹ 25.00 लाख से कम नहीं हो) किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत किए गए पूंजी निवेश पर नई इकाई के समान "**उद्योग निवेश पर अनुदान**" की पात्रता होगी। इकाईयों द्वारा अपनी विस्तार पूर्व पंजीकृत स्थापित क्षमता अथवा विगत् तीन वर्षों के औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, से अधिक उत्पादन करने पर ही योजनांतर्गत उक्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने पर इकाई को विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सूक्ष्म एवं लघु फार्मास्यूटीकल विनिर्माण उद्यम द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के अन्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी में अतिरिक्त राशि ₹ 10.00 लाख या पूर्व पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निवेश करने पर नई औद्योगिक इकाई की पात्रता अनुसार निवेश पर सहायता की पात्रता होगी।

7. पुनर्जीवित/पुनर्वासित (Revived/rehabilitated) इकाई से अभिप्रेत है ऐसी इकाई जिसके संबंध में 'लघु उद्योगों के लिये पुनर्जीवन योजनान्तर्गत' सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत की गई हो।

8. **स्थिर आस्तियों में पूंजी निवेश से अभिप्रेत है,–**

(एक) भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत संस्थापनाएं और प्रदूषण निवारण उपस्करों में किया गया निवेश,

(दो) भूमि विकास पर किया गया व्यय, जो भूमि तथा भवन निर्माण में किए गये निवेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

(तीन) प्रयोगशाला, अनुसंधान तथा प्रशासकीय भवन पर किया गया निवेश,

(चार) प्रयोगशाला एवं अनुसंधान के लिए मशीनरी तथा उपकरण पर किया गया निवेश,

(पांच) गोदाम, स्टोरेज टेंक आदि पर किया गया व्यय,

**स्पष्टीकरणः–**

(1) **भूमि** – भूमि का वास्तविक मूल्य जो पंजीयन अभिलेखों में उल्लेखित हो। भूमि पूर्व से इकाई के स्वामित्व की होने पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य।

(2) **भवन** – मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित राशि।

(3) **प्लांट एवं मशीनरी :–**

**(i)** इकाई के पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन हेतु इकाई स्थल पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य, जिसमें टूल्स, जिग्स्, डाईज, फिक्स्चर, मोल्ड्स, हेंडलिंग इक्यूपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, स्थापना व्यय, बीमा प्रिमियम, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन आदि के व्यय भी सम्मिलित किये जायेंगे। आधुनिकीकरण एवं डायवर्सीफिकेशन अंतर्गत स्थापित मशीनों की राशि भी इस मद में जोड़ी जाएगी।

**(ii)** पुरानी क्रय की गई (सेकण्ड हैण्ड) मशीनरी की स्थापना पर व्यय की गई राशि को भी सशर्त निवेश अनुदान की गणना हेतु व्यय में सम्मिलित किया जावेगा, जो निम्नानुसार होगा :–

(अ) पुरानी स्थापित की गई मशीनरी का मूल्य कुल मशीनों के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक मान्य होगा, इससे अधिक की पुरानी मशीनरी होने पर इकाई को योजनांतर्गत सुविधा की पात्रता नहीं होगी।

**<u>स्पष्टीकरण</u>** – पुरानी मशीनरी के मूल्य का आंकलन करने हेतु मशीनरी का ह्रास मूल्य (depreciated value) अथवा पुरानी मशीनरी क्रय करते समय चुकाया गया मूल्य अथवा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किया गया मूल्यांकन, जो भी कम हो, गणना हेतु मान्य किया जावेगा।

(ब) पुरानी मशीनों के संदर्भ में उसके न्यूनतम आगामी 5 वर्ष तक स्थापित क्षमता अनुरूप कार्यरत रहने का प्रमाणीकरण मान्यता प्राप्त वैल्यूअर/चार्टर्ड इंजीनियर से कराया जाना आवश्यक होगा।

(स) पुरानी मशीनों पर यदि मूल क्रयकर्ता द्वारा राज्य/केन्द्रीय लागत पूंजी अनुदान प्राप्त किया गया हो तो, इन मशीनों पर किये गये व्यय पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

**(iii)** स्थापित मशीनों, जो कि उत्पादन प्रक्रिया से सीधे संबंधित हैं, की कीमत ही गणना में सम्मिलित होगी। वाहन एवं कंज्यूमेबल स्टोर पर किये गये व्यय को गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रिलिमिनरी एवं प्री–आपरेटिव व्यय आदि को व्यय की गणना में मान्य किया जावेगा, किन्तु यह स्थिर पूंजी निवेश अंतर्गत मान्य योग्य कुल व्यय की 10 प्रतिशत सीमा तक ही मान्य होगा, जिसमें यात्रा एवं होटेल पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं होगें।

**(iv)** लीज पर लिए गये प्लांट एवं मशीनरी अन्तर्गत लीजिंग फीस/चार्ज स्थिर आस्तियों कें पूंजी निवेश में सम्मिलित होगा (लीज पर मशीन प्राप्तकर्ता (lessee) के पक्ष में अधिकार एवं टाईटल हस्तान्तरित न होने पर भी)

9. **"अग्रणी जिलों, तथा पिछड़ा 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के जिलों"** से अभिप्रेत है राज्य शासन (वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग) की अधिसूचना/आदेश क्र. एफ–20–14/05/बी/ग्यारह दिनांक 09.06.2005 के द्वारा किया गया जिलों का श्रेणीकरण,

परन्तु निम्नलिखित जिले उनके सन्मुख अंकित दिनांक तक पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी में रहेंगे तथा इस दिनांक के पश्चात यह जिले स्वमेव उपरोक्तानुसार निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार जिलों की श्रेणी में होंगे–

| **क्रं.** | **जिला** | **पिछडा जिला 'स' श्रेणी में रहने तक का दिनांक** |
|---|---|---|
| 1 | ग्वालियर | 24.09.2011 |
| 2 | उज्जैन | 04.04.2011 |
| 3 | होशंगाबाद | 24.03.2013 |
| 4 | सीहोर | 10.09.2011 |
| 5 | जबलपुर | 24.03.2013 |

10. **"हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग"** से अभिप्रेत है खनिज, वनस्पति या जड़ी–बूटी के उपयोग से औषधि या अन्य उत्पाद का निर्माण करने वाला उद्योग।

11. **"थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों"** से अभिप्रेत वस्त्र उद्योग, सूचना प्रोद्योगिकी, बायोटेक्नॉलाजी, आटोमोबाईल्स, फार्मास्यूटीकल्स, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों

से है। थ्रस्ट सेक्टर अंतर्गत चिन्हित उद्योगों की सूची वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित कर पृथक से जारी की जावेगा।

12. **वित्तीय संस्था से अभिप्रेत है,** वह संस्था/बैंक जिसने पात्र उद्योग को ऋण प्रदान कर वित्त पोषण किया है।

4. **योजना की प्रभावशीलता एवं विस्तार –**

इस योजना की प्रभावशीलता स्वामित्विक/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा अथवा सहकारिता क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01.11.2010 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना, थ्रस्ट सेक्टर के लघु उद्योग तथा इस श्रेणी के विद्यमान उद्योगों के विस्तार, डायवर्सिफिकेशन एवं तकनीकी उन्नयन के संबंध में होगी।

5. इस योजना के अंतर्गत निवेश अनुदान की सुविधा कतिपय उद्यमों/उद्योगों को उपलब्ध नही होगी, यथा, स्लॉटर हाउस एवं मांस पर आधारित उद्योग, सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा विनिर्माण, फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण, मदिरा, तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधारित विनिर्माण, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा अथवा उनके उपक्रमों या संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग इत्यादि। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा योजना के संदर्भ में समय–समय पर जारी अपात्र उद्योगों की सूची में वर्णित उद्योग इस योजना के लिये अपात्र होंगे।

6. **निवेश अनुदान की मात्रा एवं अवधि –**

(1) अपात्र उद्योगों की श्रेणी में न आने वाले सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान सहायता की पात्रता होगी –

| जिले की श्रेणी | अनुदान का प्रतिशत | अधिकतम राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| पिछड़ा 'अ' | 15 | ₹ 5.00 लाख | अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन श्रेणी के लिए अनुदान 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 20.00 लाख दिया जाएगा। |
| पिछड़ा 'ब' | 15 | ₹ 10.00 लाख | |
| पिछड़ा 'स' | 15 | ₹ 15.00 लाख | |

परन्तु,

(क) अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 20.00 लाख तक पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

**नोट –**

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए केवल वे निःशक्तजन पात्र होंगे, जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक हो तथा निःशक्तता का प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(2) इकाई का स्वरूप भागीदारी अथवा कम्पनी होने की स्थिति में अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन, जैसी भी स्थिति हो, का संबंधित फर्म/कम्पनी में न्यूनतम 50 प्रतिशत का हिस्सा होना आवश्यक होगा।

(3) हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलो में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल। अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी ''अ'' के समान निवेश पर अनुदान, की पात्रता होगी।

(4) 'बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना' अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी को बीमार लघु उद्योग इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने के उपरान्त पुनर्जीवन पैकेज के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2010 को या उसके पश्चात् अतिरिक्त पूंजी निवेश पर इकाई को उपरोक्तानुसार जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित निवेश पर अनुदान की पात्रता होगी।

**7. थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को निवेश अनुदान** – ₹ 50.00 लाख से अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालाजी, आटोमोबाइल, फार्मास्यूटीकल, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण पर आधारित जिन उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस सेक्टर के अंतर्गत स्थापित होने वाले लघु श्रेणी के उद्योगों को 25 प्रतिशत की दर से विशेष अनुदान के रूप में पिछड़ा 'अ' जिलों में अधिकतम ₹ 10.00 लाख, पिछड़ा 'ब' जिलों में अधिकतम ₹ 15.00 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिलों में अधिकतम ₹ 25.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन के लिये थ्रस्ट सेक्टर अंतर्गत चिन्हित उद्योगों की सूची वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

8. **निवेश अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया –**

निवेश अनुदान प्राप्त करने हेतु, नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पश्चात् या पुनर्वासित बीमार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए परियोजना में उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् निम्न दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :–

(1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र।

(2) नवीन इकाई हेतु ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र, विद्यमान इकाई के विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु ई.एम. एवं महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने की सूचना हेतु जारी ई.एम. (पार्ट–2) प्रमाण पत्र।

(3) स्थायी पूंजी निवेश सम्बंधी विवरण (व्यय सत्यापन हेतु बिलों की फोटोप्रतियाँ)

(4) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण सम्बंधी पत्र।

(5) चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(6) भवन के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र।

(7) उत्पादन दिनांक से आवेदन दिनांक तक कच्चेमाल का क्रय/उत्पादन/विक्रय की जानकारी

(8) उद्यमी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

(9) निःशक्तजन होने पर, निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

9. **<u>निवेश अनुदान स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया एवं सामान्य शर्तें –</u>**

(1) इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन या विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन पश्चात् इकाई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्पूर्ण जानकारी सहित सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों से संबंधित प्रकरणों में अनुदान स्वीकृत

किये जाने के संबंध में, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर, आवेदन करने में हुये विलम्ब को शिथिल करने का अधिकार जिला स्तरीय सहायता समिति को होगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन–पत्र पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख महाप्रबन्धक अथवा अधिकृत प्रबन्धक द्वारा स्पष्ट रूप से किया जावेगा तथा अनुदान हेतु निरीक्षण एवं प्रकरण में कमी पूर्ति के लिए नोडल अधिकारी (प्रबन्धक) को नामांकित किया जावेगा।

(3) महाप्रबन्धक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी (प्रबन्धक) जिसे प्रकरण के निराकरण के लिए दायित्व सौंपा जायेगा, प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर दो सप्ताह में इकाई के प्रकरण में यदि कोई कमी हो तो लिखित सूचना देगा तथा इकाई से कमी पूर्ति करायेगा। प्रकरण में कमी की पूर्ति उपरान्त 15 दिवस में इकाई का निरीक्षण सम्बंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) महाप्रबन्धक प्रकरण में नोडल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं योजना के प्रावधान अनुसार परीक्षणोंपरान्त प्रकरणों को जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय प्राप्त करेंगे।

(5) प्रकरणों में निवेश अनुदान स्वीकृति के अधिकार जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को होंगे।

(6) अनुदान स्वीकृति के पश्चात् महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इकाई से अनुबंध निष्पादित किया जाएगा तथा निष्पादित अनुबंध इकाई द्वारा पंजीकृत कराया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा यदि वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है तो अनुदान राशि का वित्तीय संस्था के माध्यम से वितरण की कार्यवाही की जावेगी। अन्य इकाईयों को सीधे चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान राशि देय होगी। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार अनुदान वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

(8) इकाई द्वारा प्रतिवर्ष उत्पादन के ऑकड़े एवं बैलेन्स शीट महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किये जाएंगे।

(9) निवेश अनुदान प्राप्त इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात् 5 वर्ष तक कार्यरत रहना आवश्यक होगा अन्यथा इकाई को भुगतान की गई अनुदान राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू–राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

(10) निवेश अनुदान प्राप्त इकाई यदि अपने प्रबन्धकीय नियंत्रण से परे कारणों से 6 माह से अधिक की अवधि तक बंद रहती है, तो उक्त अवधि को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर उद्योग आयुक्त द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

(11) इकाई द्वारा गलत तथ्यों/जानकारी के आधार पर निवेश अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इकाई से वितरित निवेश अनुदान की सम्पूर्ण राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल कर सकेंगे।

(12) स्वरोजगार एवं अन्य योजनान्तर्गत स्थापित उद्योग, जिन्होंने अन्य योजनाओं में पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया है, इस योजनान्तर्गत अनुदान हेतु पात्र नहीं होगें।

(13) उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना निवेश अनुदान प्राप्त इकाई उत्पादन दिनांक के 5 वर्ष की अवधि में स्वामित्व परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, इकाई का विक्रय या इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में सारवान भाग की कमी नहीं कर सकेगी।

(14) ऐसे उद्योग जो राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम के घोषित चूककर्ता/अशोधी (defaulter) हैं, निवेश अनुदान सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

(15) योजना के किसी प्रावधान की किसी प्रकार की व्याख्या या मार्गदर्शन हेतु उद्योग आयुक्त अधिकृत होगें तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

10. **निवेश अनुदान स्वीकृति हेतु समिति –**

(क) निवेश अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय सहायता समिति होगी –

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय | उपाध्यक्ष |
| 3 | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या उनका प्रतिनिधि, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर से कम का न हो | सदस्य |
| 4 | प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उनका प्रतिनिधि, जो उप संचालक उद्योग स्तर से कम का न हो | सदस्य |
| 5 | अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) | सदस्य |
| 6 | मध्यपदेश वित्त निगम के प्रतिनिधि<br>(प्रकरण के वित्त निगम से संबंधित होने पर) | सदस्य |
| 7 | महाप्रबन्धक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | सदस्य–सचिव |

(ख) जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष को छोड़कर 3 का होगा।

(ग) जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिमाह होगी। जिला स्तरीय समिति अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर उद्योग आयुक्त को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध निर्णय प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल को की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील पर राज्य शासन द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेकर विलंब को शिथिल किया जा सकेगा।

11. निरसन एवं व्यावृत्ति :—

निवेश पर अनुदान योजना, 2010, दिनांक 01.11.2010 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों पर लागू होगी। दिनांक 01.11.2010 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों के लिये उद्योग निवेश अनुदान योजना, 2004 प्रभावशील रहेगी। पूर्व में निराकृत प्रकरण, जो पुराने नियमों के अन्तर्गत निराकृत किये जा चुके है, इन नियमों के अन्तर्गत पुनः नहीं खोले जावेगें।

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.